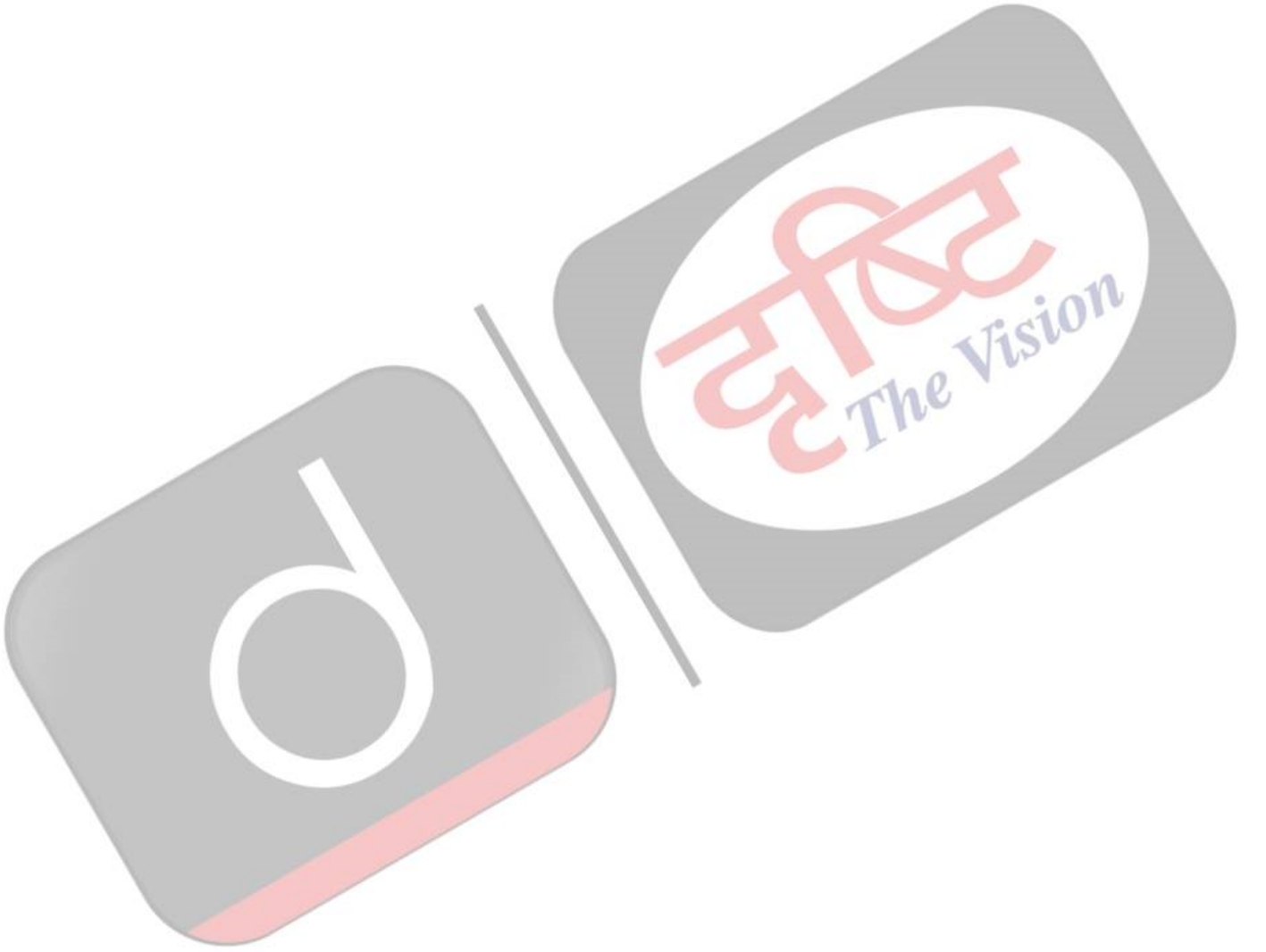




इच्छामृत्यु



इच्छामृत्यु (Euthanasia)

के बारे में

- किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रथा; एक लाइलाज स्थिति/असहनीय दर्द से राहत पाने के लिये

सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)

- किसी पदार्थ अथवा या बाह्य बल की सहायता से एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप, (जैसे - किसी घातक इंजेक्शन द्वारा)

निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)

- मरणासन्न रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने वाले आवश्यक जीवन समर्थ/उपचार को हटा देना

पक्ष में तर्क

- रोगी की पसंद की स्वतंत्रता
- गरिमा के साथ मरने का अधिकार
- पीड़ा को समाप्त करने की दृष्टि से अधिक मानवीय
- रोगी के प्रियजनों के दुःख को कम करता है

विरुद्ध तर्क

- नैतिक, धार्मिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य
- इच्छामृत्यु/यूथेनेशिया को उचित तरीके से विनियमित नहीं किया जा सकता है
- अपराधबोध से ग्रस्त रोगी सहमति देने के लिये स्वयं को बाध्य महसूस कर सकते हैं

इच्छामृत्यु - भारत में वैधता

पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994)

- सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास करने हेतु दंड) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1994 में दिये गए अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में मरने का अधिकार शामिल नहीं है (जिससे गरिमा के साथ मरने का अधिकार नहीं माना जाना चाहिये)

अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011)

- सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी और 'सक्रिय' और 'निष्क्रिय' के बीच अंतर स्थापित किया और "कुछ स्थितियों" में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ व अन्य (2018)

- सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु/पैसिव यूथेनेशिया को यह दावा करते हुए वैध कर दिया कि यह 'लिविंग विल' (एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है) रखने वाले व्यक्ति पर निर्भर है
- यदि किसी व्यक्ति के पास लिविंग विल नहीं है, तो उसके परिवार के सदस्य निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये अनुमति हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिविंग विल' (2018 के मामले में निर्धारित) के लिये मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

